e/;izns'k O;kolkf;d ijh{kk e.My] Hkksiky

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011

फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498

ई–मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2014

ijh{kk lapkyu ,o Hkrh fu;e iqfLrdk

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि		16.12.2014
ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि		14.01.2015
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि		15.01.2015
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि		19.01.2015
परीक्षा दिनांक व दिन		01.03.2015 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	अनारक्षित के लिए :–	रू. 700/–
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए :–	रू. 350/–
ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रू. 70/– देय होगा।		

le; lkj.kh

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियॉं भरने का समय	प्रश्न–पत्र वितरण समय	प्रश्न–पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
01.03.2015 (रविवार) विज्ञान (गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र)	प्रातः 08:00 बजे से	प्रातः 08:00 से 08:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 08:00 से 08:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 08:10 बजे	प्रातः 08:10 से 08:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 08:15 से 10:15 बजे तक (2:00 घंटे)
01.03.2015 (रविवार) हिन्दी एवं अंग्रेजी में दक्षता	दोपहर 12:00 बजे से	दोपहर 12:00 से 12:10 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 12:00 से 12:10 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 12:10 बजे	दोपहर 12:10 से 12:15 बजे तक (05 मिनट)	दोपहर 12:15 से 02:15 बजे तक (2:00 घंटे)
01.03.2015 (रविवार) सामान्य ज्ञान	दोपहर 03:00 बजे से	दोपहर 03:00 से 03:10 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 03:00 से 03:10 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 03:10 बजे	दोपहर 03:10 से 03:15 बजे तक (05 मिनट)	दोपहर 03:15 से 05:15 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :–

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट पश्चात तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
4. **ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।**
5. **परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन, परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र के साथ साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसेः– मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, फोटोयुक्त अंकसूची तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।**
6. मण्डल द्वारा जारी प्रवेश–पत्र (टी0ए0सी0) के द्वितीय भाग में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में प्रयोग किया गया फोटो लगाकर <u>राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा</u> अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नही होगी।

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन
के अंतर्गत सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर की भर्ती हेतु
चयन परीक्षा–2014

विषय सूची

l-Ø-	fooj.k	i"B Ø-
1.	v/;k;&1 & पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2014 के लिए विभागीय नियम	03–14
2.	v/;k;&2 – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	15–22
3.	v/;k;&3– विस्तृत पाठ्यक्रम	23–24
4.	v/;k;&4 – आवश्यक प्रमाण–पत्रों के प्रारूप	25–30

अध्याय – 1
पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2014 के लिए विभागीय नियम

1.1 सामान्य :–

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रं. पुमु/2–चयन/स–1/464/2013, दिनांक 24.07.2014 के अनुसार मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में सूबेदार, उप निरीक्षक (जि.पु.ब.), उप.नि.(जि.बल) –महिला डेस्क, उप निरीक्षक (वि. शा.), उप निरीक्षक(क्यू.डी.), उप निरीक्षक(रेडियो), उप निरीक्षक (अं.चि.) पदों पर नियुक्ति के लिये इच्छुक पुरुष/महिला एवं प्लाटून कमांडर के रिक्त पदों पर केवल पुरूष उम्मीदवारो से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1.2 परिभाषायें :–

(अ)इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य चार श्रेणियों अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।

(ब)''समिति'' से अभिप्रेत है – राज्य शासन द्वारा गठित की गई चयन समिति।

(स)''प्रथम चरण'' से अभिप्रेत है – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा।

(द)''द्वितीय चरण'' से अभिप्रेत है – पुलिस विभाग द्वारा आयोजित शारीरिक नापतौल, शारीरिक दक्षता परीक्षण के पश्चात् साक्षात्कार।

(ई)''मण्डल'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल से है।

(फ) म.प्र. से तात्पर्य मध्यप्रदेश है।

1.3 रिक्त पदों की तालिका :–

स.क्र.	पदनाम	अनारक्षित					अनुसूचिज जनजाति				
		योग	निल		भू0सै0	पुलिस	योग	निल		भू0सै0	पुलिस
			ओपन	महिला	ओपन	ओपन		ओपन	महिला	ओपन	ओपन
1	सूबेदार	62	34	19	06	03	24	14	07	02	01
2	उप.नि.(जि.बल)	272	149	82	27	14	54	30	16	05	03
3	उप.नि.(विशा)	13	07	04	01	01	07	04	02	01	00
4	उप.नि.(कयू.डी.)	00	00	00	00	00	01	00	01	00	00
5	उप.नि.(रेडियो)	05	03	02	00	00	00	00	00	00	00
6	उप.नि.(अ.चि.)	04	03	01	00	00	02	02	00	00	00
7	प्लाटून कमाण्डर	52	44	00	05	03	26	22	00	03	01
	महायोगः–	408	240	108	39	21	114	72	26	11	05

स. क्र.	पदनाम	अनुसूचित जाति					अन्य पिछडा वर्ग					महा योग
		योग	निल		भू0सै0	पुलिस	योग	निल		भू0सै0	पुलिस	
			ओपन	महिला	ओपन	ओपन		ओपन	महिला	ओपन	ओपन	
1	सूबेदार	15	07	05	02	01	09	05	03	01	00	110
2	उप.नि.(जि.बल)	58	32	17	06	03	13	07	04	01	01	397
3	उप.नि.(विशा)	14	08	04	01	01	06	03	02	01	00	40
4	उप.नि.(कयू.डी.)	01	00	01	00	00	02	01	01	00	00	04
5	उप.नि.(रेडियो)	05	03	02	00	00	01	00	01	00	00	11
6	उप.नि.(अ.चि.)	01	01	00	00	00	01	01	00	00	00	08
7	प्लाटून कमाण्डर	03	03	00	00	00	17	14	00	02	01	98
	महायोगः–	97	54	29	09	05	49	31	11	05	02	668

नोट–(1) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक– सी–3–2–97–3– एक दिनांक 7 फरवरी 97 के द्वारा महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण 'हारीजोन्टल एवं कम्पार्टमेन्ट वाईज' निर्धारित किया गया है । 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है, 5 प्रतिशत पद मध्यप्रदेश पुलिस कार्मियों के लिए आरक्षित है। ये तीनों ही हारीजोन्टल आरक्षण है। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगें । ऐसी स्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य

उम्मीदवारों से भरे जावेंगे । यदि चयन सूची में पहले से ही 30 प्रतिशत महिलायें, 05 प्रतिशत पुलिस कर्मी या 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मैरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो पृथक से आरक्षण और नहीं दिया जायेगा।

यहॉ स्पष्ट करना आवश्यक है कि सामाजिक वर्ग पर आधारित आरक्षण अर्थात अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण 'वर्टिकल' स्वरूप का है। जबकि महिलाओं, पुलिस कर्मियों तथा भूत पूर्व सैनिको के लिये आरक्षण ''हारीजोन्टल एवं कम्पाटमेंट वाईज'' स्वरुप का है । इन दो आरक्षणो में अन्तर मान्. उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्द्रा साहनी विरूद्ध भारत संघ (**1992SUPP (3)SCC-217**) में स्पष्ट किया गया है । हारीजोन्टल एवं कम्पाटमेंट वाईज आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जो मान्.उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कुमार गुप्ता विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में निर्धारित की गई है { संदर्भ '' **1995 (2) SUPP , SCR - 396 1995(5) SCC- 173**}का अनुसरण कियाजाता है ।

प्लाटून कमांडर के पदों को छोड़कर शेष संवर्ग में आरक्षण नियमों के अनुसार योग्य महिला उम्मीदवार न मिलने पर पद केरी फारवर्ड नहीं होगा बल्कि उसी जाति के योग्य पुरूष से भरा जायेगा ।

(2) स.क्रं. 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 के रिक्त पदों में महिलाओं के लिये आरक्षित पदों में 30% आरक्षण शामिल है। प्लाटून कमाण्डर के पदों को छोड़कर शेष सभी पदों के लिये महिलायें भी रिक्त पदों के अनुरुप आवेदन कर सकती हैं।

(3) शासन द्वारा आरक्षण के संबंध में समय समय पर जारी आदेशों के तहत पद सुरक्षित होंगे। अंतिम चयन के समय में वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुये इस संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती हैं।

1.4 पदों का वेतनमान :–

समस्त पदों का वेतनमान : रू. 9300–34800/– एवं ग्रेड वेतन – 3600/–

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–9/3/2003/नियम–4/ दिनांक 13.4.2005 एवं क्रं एफ–9/डी/2003 नियम–4 दिनांक 2.7.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई हैं।

1.5 परीक्षा केन्द्र :– परीक्षा केन्द्रों का विवरण अध्याय–2 में देखें।

1.6 निर्धारित आयु सीमा :–

अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1 जनवरी 2015 को 18 वर्ष से कम एवं 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

उच्चतर आयु सीमा में छूट :–

निम्न संवर्गो के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है :–

1.6.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट प्राप्त होगी अर्थात इस जाति वर्ग के अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1 जनवरी 2015 को 18 वर्ष से कम एवं 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

1.6.2 मध्य प्रदेश शासन के स्थायी शासकीय सेवक हैं, या मध्यप्रदेश शासन में अस्थायी पद धारण करने वाले शासकीय सेवक हैं, उनकी अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष होगी।

1.6.3 मध्यप्रदेश शासन के स्थायी शासकीय सेवक, या मध्यप्रदेश शासन में अस्थायी पद धारण करने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष ही रहेगी । मध्यप्रदेश राज्य शासन के निगम/मण्डल के कर्मचारियों को भी आयु सीमा में छूट के प्रयोजन के लिये शासकीय सेवक माना गया है। यह छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी/कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ।

1.6.4 स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नान–कमीशन्ड अधिकारियों के प्रकरण में अधिकतम 8 वर्ष की कालावधि एवं 36 वर्ष की आयु सीमा के अन्तर्गत उनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई सेवा की कालावधि तक शिथिल की जावेगी। अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थ्यता अथवा भगोड़े होने के कारण पृथक

किये गये नगर सैनिकों को इस संवर्ग के अन्तर्गत नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, अतः आयु सीमा में छूट की पात्रता का प्रश्न ही नहीं उठता।

1.6.5 यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि **स्थानीय निकायों** जैसे जिला पचांयत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका आदि में कार्यरत संविदा शिक्षक, सहायक अध्यापक आदि जो स्थानीय निकाय के कर्मचारी है, उन्हें अधिकतम आयु–सीमा में छूट प्राप्त **नहीं** है। अधिकतम आयु– सीमा में छूट हेतु स्थानीय निकायों में कार्यरत ऐसे अनेक उम्मीदवारो की याचिकाऐं मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है :–

1. मान्.उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा खारिज की गई याचिकाएं :–

(i) रिट याचिका क 3629/08द्वारा अरूण सिंह भदौरिया विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,{संदर्भ 2009(2)एम. पी.एच.टी.–277 },

(i)19301/11पंकजकुमार रैले विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(ii)18940/11अमित सिंह विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(iii)18203/11दुष्यंत यादव विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(iv)18563/11रंजनीश कुमार अग्निहोत्री विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(v) 18564/11रंजनीश सिंह, विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(vi) 18763/11दयाल सिंह लबामा विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(vii) 19634/11प्रदीप कुमार राजपूत विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(viii) 21397/11कैलाश चन्द्र अवधिया एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(ix) 20139/11मनोज राज सिंह विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(x) 20518 / 11 नीरज पाण्डेय एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(xi) 21025/11अनिल मिश्रा जिला एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

2. मान्.उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा खारिज की गई याचिकाएं :–

(i) 7812 /2011 पुनीत चौहान एवं अन्य 10 विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(ii) 6645/ 2011राजेश प्रताप सिंह बैस एवं अन्य50विरूद्ध म.प्र शासन एवं अन्य,

(iii) 8196/ 2011 पवन भदौरिया एवं अन्य 7 विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(iv) 8303/2011 निरंजन सिंह तोमर एवं अन्य 4 विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(v) 8327/2011 रविन्द्र सिंह बुंदेला एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

3. मान्.उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा खारिज की गई याचिकाऐं :–

(i) 9178/11कु.निर्मला शर्मा इंदौर विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(ii) 9352/11रामेन्द्र सिंह परमान विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(iii) 9447/11विजय कुमार रावज विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(iv)9388/11सुधीर मोहन अग्रवाल एवं अन्यविरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(v)9322/11विजेन्द्र पाल सिंह एवं अन्यविरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(vi) 9203/11कनक सिंह चौहान विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(vii) 9730/11अभिषेक सिंह चौहान विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(viii) 9366/11शेलेन्द्र सिंह सिसोदिया विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(ix) 9024/11राजेन्द्र भदौरिया विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(x) 9905/11 सुनील पटेल विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(xi) 10295/11शबाना खान विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(xii) 10237/11ज्ञान सिंह विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(xiii) 10207/11 अशोक कुमार विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य।

1.6.6 केन्द्र शासन अथवा अन्य राज्यों के सेवारत अथवा भूतपूर्व शासकीय सेवकों को आयु में किसी ऐसी छूट की पात्रता नहीं है, जो इन नियमों में नहीं दी गई। सी.आर.पी.एफ, बी. एस.एफ, आई.टी.बीपी. आदि केन्द्र शासन के अर्द्ध सैनिक या पुलिस बलों के सदस्यों को आयु में छूट की पात्रता नहीं है। शासकीय सेवकों को उक्त छूट की पात्रता प्राप्त करने एवं चयन से हुई नियुक्ति की पात्रता प्राप्त करने के लिये अपने वर्तमान नियुक्ति प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति अवश्य ही प्राप्त करनी होगी और ऐसी लिखित अनुमति को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

1.6.7 छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी को उसकी आयु सीमा में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 07 वर्ष की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते की इसके परिणाम स्वरुप ऐसे अभ्यर्थी की आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं हो, अर्थात 31 वर्ष से अधिक न हो। छटनी किये गये सरकारी कर्मचारी' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जो मध्य प्रदेश शासन अथवा कन्हीं भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में निरन्तर कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थता के आधार पर सेवामुक्त किये गये भूतपूर्व शासकीय कर्मियों को इस सेवा में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। अतः इन्हे आयु सीमा में छूट की पात्रता भी नहीं होगी।

1.6.8 उन अभ्यर्थियों को जो भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं उसकी वर्तमान आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की पात्रता होगी, बशर्ते इसके परिणाम स्वरुप उनकी आयु अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, अर्थात 31 वर्ष से अधिक नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिक की पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में सैनिक की रक्षा सेवा में नियमानुसार पेंशन प्राप्त करता हो अथवा अशक्त होने पर चिकित्सा संगठन द्वारा अशक्त पेंशन प्राप्तकर्ता को ही भूतपूर्व सैनिक माना गया है । दुराचरण अथवा अक्षमता के आधार पर सेना से निष्कासित किये गये व्यक्तियों को भूत पूर्व सैनिको के लाभ प्राप्त नहीं होगे

1.6.9 भतपूर्व सैनिक सवंर्ग में भू–सेना, क्षेत्रीय सेना या केन्द्र शासन के पुलिस या अर्द्धसैनिक बलों के भूतपूर्व कर्मी शामिल नहीं होंगे।

1.6.10 विधवा, परित्यक्तता एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी : अनारक्षित श्रेणी की विधवा, परित्यक्तता एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थीयो के लिये सामान्य अधिकतम आयु सीमा दिनांक 01 जनवरी 2015 को 33 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग की विधवा, परित्यक्तता एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थीयों के लिये अधिकतम आयु सीमा दिनांक 01 जनवरी 2015 को 38 वर्ष से अधिक नही होनी चाहियें।

1.6.11 प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूटें –

1.6.11 .1 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारण करने वाले अभ्यार्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 2 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

1.6.11.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतगर्त पुरूस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

1.6.11.3 ''विक्रम पुरस्कार'' प्राप्त अभ्यार्थियों के मामले में भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

1.6.11.4 बिन्दु 1.6.11.1 से 1.6.11.3 तक प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के अन्तर्गत यदि कोईउम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार के लिये छूट मिलेगी । बिन्दु 1.6.11.1 से 1.6.11.3 तक प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूट, बिन्दु 1.6.1से 1.6.9 तक मिलने वाली सामान्य छूटों के अतिरिक्त होगी ।

1.6.12 सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–सी–3–11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि शासन द्वारा अधिकतम आयु सीमा में दी गई छूटें, गृह (पुलिस), वन, आबकारी तथा जेल विभाग के कार्यपालिक पदों पर लागू नहीं होगी । तदनुसार इस परीक्षा हेतु राज्य शासन के शासकीय सेवकों एवं मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को तथा नगर सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष रहेगी । अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए भी अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष रहेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि lokjr

efgyk vkosnd की अधिकतम आयु सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए के लिए 36 वर्ष ही रहेगी।

1-6-13 vf/kdre vk;q lhek esa mijkDr NwV मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही उपलब्ध होगी। इस चयन परीक्षा के लिये मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा दिनांक 01 जनवरी 2015 को कालम में दर्शाई गई आयु सीमा से अधिक नही होनी चाहियेः–

स0क्र0	आवेदक	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
01	पुरूष	अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी	28 वर्ष
02	पुरुष	आरक्षित श्रेणी (अनु0जाति/अनु0जजा/अपिवर्ग) का अभ्यर्थी	33 वर्ष
03	पुरूष	सभी श्रेणी के शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी/नगर सैनिक अभ्यर्थी	36 वर्ष
04	महिला	अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी	28 वर्ष
05	महिला	आरक्षित श्रेणी (अनु0जाति/अनु0जजा/अपिवर्ग) का अभ्यर्थी	33 वर्ष
06	महिला	सभी श्रेणी के शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी/नगर सैनिक अभ्यर्थी	36 वर्ष
07	महिला	अनारक्षित श्रेणी की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा अभ्यर्थी	33 वर्ष
08	महिला	आरक्षित श्रेणी (अनु0जाति/अनु0जजा/अपिव) की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा	38 वर्ष
09	पुरूष/महिला	अनारक्षित श्रेणी एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड अभ्यर्थी	30 वर्ष
10	पुरूष/महिला	आरक्षित वर्ग एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड अभ्यर्थी	35 वर्ष
11	पुरूष/महिला	अनारक्षित श्रेणी एवं अन्तर्जातीय विवाह	33 वर्ष
	पुरूष/महिला	अनारक्षित श्रेणी एवं विक्रम पुरूष्कार विजेता	33 वर्ष
12	पुरूष/महिला	आरक्षित श्रेणी (अनु0जाति/अनु0जजा/अपिवर्ग) एवं विक्रम पुरूष्कार विजेता	38 वर्ष

नोटः– अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध उपरोक्त सभी प्रकार की छूटें मध्यप्रदेश की मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही उपलब्ध होंगी। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को उपरोक्त छूटें अथवा आरक्षण प्राप्त नहीं होगा तथा अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में ही शामिल होने की पात्रता होगी।

1.6.14 किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को तदाशय का निर्धारित प्रारुप में प्रमाण–पत्र सत्यापन के समय पेश करना होगा। जाति प्रमाण पत्र के नमूने इस नियम पुस्तिका के अध्याय–3 में दर्शाए गए हैं।

1.6.15 सन्तान के सम्बन्ध में :–

कोई उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक संतान हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु ऐसा अभ्यर्थी निर्रहत नही होगा यदि उसकी एक सन्तान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक सन्तानों का जन्म होता है।

1.7 न्यूनतम शारीरिक अर्हता :–

अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हतॉए अवश्य होनी चाहिए :–

1.7.1 उँचाई : पुरूष – 167.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक
महिला – 152.4 सेंटीमीटर या उससे अधिक

1.7.2 सीना : पुरूष – सीना बिना फुलाये 81 सेंटीमीटर/फुलाने पर 86 सेंटीमीटर (अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंमी का अन्तर होना आवश्यक हैं इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।)

1.7.3 अभ्यर्थी को शारीरिक रुप से अपंग नहीं होना चाहिये।

1.7.4 अभ्यर्थी में 'नॉक–नी' अथवा 'फ्लेट फुट' एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिये । अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टि से पूर्णतः योग्य (मेडिकली फिट) होना आवश्यक हैं।

नोटः– न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करें। निर्धारित नापजोख पूर्ण नहीं करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी।

1.8 न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :–

स.क्र.	पदनाम	पद का प्रकार	शैक्षणिक अर्हताऍं
01	सूबेदार	अतकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य
02	उप निरीक्षक (जिला पुलिस बल)	अतकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य।
03	उप निरीक्षक (विशेष शाखा)	अतकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य।
04	उप निरीक्षक (क्यू. डी.)	तकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के विषय के साथ स्नातक या उसके समतुल्य उपाधि।
05	उप निरीक्षक (रेडियो)	तकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था/विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक/ इलेक्ट्रिकल, टेली कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में 03 वर्ष का डिप्लोमा।
06	उप निरीक्षक (अंगुली चिन्ह)	तकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के विषय के साथ स्नातक या उसके समकक्ष या उसके समतुल्य उपाधि।
07	प्लाटून कमांडर	अतकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य

नोट–(1) उप निरीक्षक अंगुली चिन्ह, एवं क्यू.डी. के तकनीकी पद पदों हेतु शैक्षण्कि अर्हता गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक या समतुल्य उपाधि निर्धारित है । इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि समतुल्य उपाधि में वह इंजीनियरिंग स्नातक डिग्री जिसमें गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र तीनों विषय शामिल रहे हों, को ही मान्य किया जावेगा।

(2) भूतपूर्व सैनिको की शैक्षणिक योग्यता हेतु भारत सरकार – कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय : कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 12 फरवरी 1986 तथा म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग कीअधिसूचना क्रमांक सी–3–3–86–3 एक दिनांक 24 फरवरी 1987 के द्वारा मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (क) में किये गये संशोधन अनुसार मेट्रिक उत्तीर्ण ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसने 15 वर्ष की सेवा उपरांत (जिस पद के अन्तर्गत वह भूतपूर्व सैनिक भी आता है, जिसने भारतीय सेना शिक्षा विशेष प्रमााण पत्र या नौ सेना या वायु सेना के तत्स्थानी प्रमाण पत्र अभिप्राप्त कर लिया हो) मप्र पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1997 में स्नातक के समकक्ष मान्य किया गया है ।

1.8.1 शैक्षणिक योग्यता में छूट :–

शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जावेगी, किन्तु अपवादित मामले में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिये पात्र समझती हो। समिति अपने विवेकानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा चयन में सम्मिलित कर सकेगी जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधियाँ प्राप्त की हों जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रुप से मान्यता प्राप्त न हो।

1.8.2 अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य हैं।

1.8.3 निर्धारित समस्त अर्हताएं आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक उम्मीदवार के पास अवश्य होनी चाहिये, अर्थात यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष स्नातक की परीक्षा में बैठा है और उसके पास स्नातक परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं है।

1.8.4 इस चयन परीक्षा हेतु उम्मीदवारो द्वारा व्यावसायिक परीक्षा मंडल को आवेदन पत्र एम.पी. ऑन–लाईन (M.P On-Line) के माध्यम से भरे जाने है । किसी भी उम्मीदवार को एक आवेदन जमा करने की पात्रता है । यदि कोई उम्मीदवार एक आवेदन जमा करने के बाद केन्द्र के परिवर्तन आदि के लिये दूसरा आवेदन जमा करना चाहता है तो उसे अपना पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त करना होगा, उसके बाद ही नया आवेदन स्वीकार किया जावेगा ।

1.9 परीक्षा की योजना :–

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्राप्त किए जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन–पत्रों की स्क्रूटनीसंबंधी आवश्यक निर्देश अध्याय–2 में दिए गए हैं, जिसके अनुसार लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होंगे।

सूबेदार / उप निरीक्षक संवर्ग / प्लाटून कमांडर की चयन परीक्षा–2014 को निम्न लिखित तीन चरणो में संपन्न कराया जावेगा :–

1– प्रथम चरण : लिखित परीक्षा
2– द्वितीय चरण : शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा
3– तृतीय चरण : साक्षात्कार

इस चयन परीक्षा हेतु उम्मीदवारों द्वारा व्यावसायिक परीक्षा मंडल को आवेदन पत्र एमपी ऑन लाईन (M.P On Line) के माध्यम से भरे जाते है । लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों का प्रवेश तथा लिखित परीक्षा का परिणाम प्रावधिक (Provisional) होगा । लिखित परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है । लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिये बुलाये गये उम्मीदवारो का निम्नलिखित परीक्षण किया जावेगा :–

1– उम्मीदवार के समस्त मूल प्रमाण पत्रो का परीक्षण ।
2– उम्मीदवार की उँचाई एवं सीने का माप ।
3– उम्मीदवार की नॉक–नी एवं फ्लैट फुट का परीक्षण ।

उपरोक्त तीनो परीक्षणो में सफल होने पर उम्मीदवारों को शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा में भाग लेने की पात्रता प्राप्त होगी ।

यदि मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा आन लाइन आवेदन भरते समय कोई असत्य जानकारी प्रविष्ट की गई थी अथवा कोई तथ्यात्मक जानकारी छुपाई गई थी तो उसकी उम्मीदवारी उसी चरण पर समाप्त कर दी जावेगी तथा उसे किसी पद पर चयन की पात्रता नहीं रहेगी । यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी भी चरण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो अगले चरण में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी, भले ही वह लिखित परीक्षा में सफल रहा हो । यदि उम्मीदवार उपरोक्त तीनो परीक्षणो में योग्य पाया जाता है तथा शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा में सफल होता है, तभी उसे साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा ।

1.9.1 प्रथम चरण – लिखित परीक्षा :–

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों में विषय, समय, अवधि एवं अधिकतम अंक हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में निम्नानुसार होंगे :–

कमांक	प्रश्न पत्र	पद प्रकार जिसके लिये प्रश्न–पत्र लागू होंगे	अवधि	अधिकतम अंक
1	विज्ञान (गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र)	तकनीकी	02 घंटे	100
2	हिन्दी एवं अंग्रेजी में दक्षता	तकनीकी/अतकनीकी दोनो के लिये	02 घंटे	100 (70+30)
3	सामान्य ज्ञान	तकनीकी/अतकनीकी दोनो के लिये	02 घंटे	100

नोट (क) अभ्यर्थियों के लिये सूबेदार/उप निरीक्षक/प्लाटून कमाडर एवं उप निरीक्षक (विशेष शाखा) के पद के लिये हिन्दी एवं अंग्रेजी में दक्षता तथा सामान्य ज्ञान की परीक्षा अनिवार्य है।

(ख) उप निरीक्षक (रेडियो) उप निरीक्षक (क्यू.डी./अंगुली चिन्ह) के पदों के लिये हिन्दी/अंग्रेजी में दक्षता, सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान तीनों परीक्षायें अनिवार्य हैं।

(ग) आवेदक को लिखित परीक्षा के लिये मंडल द्वारा जारी प्रवेश–पत्र तथा काला बॉल प्वाइंट पेन अपने साथ लाना होगा।

(घ) परीक्षा में किसी प्रकार के केलकुलेटर, मोबाईल एवं व्हाईटनर आदि के उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(ङ) लिखित परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र के साथ साथ परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बॉल प्वाइंट पेन एवं फोटोयुक्त मूल पहचान–पत्र मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, फोटोयुक्त अंकसूची तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

(च) नकल–लिखित परीक्षा में जो उम्मीदवार अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुये अथवा नकल सामग्री के साथ पकडा जावेगा उसे तीन वर्षो के लिये सूबेदार/उपनिरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर आदि प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा तथा अन्य उचित वैधानिक कार्यवाहीी भी की जावेगी।

1.9.2 लिखित परीक्षा की मेरिट सूची :–

प्रथम चरण की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट अनुसार, विज्ञापित रिक्त पदों के जाति वर्ग अनुसार 5 गुना संख्या में अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षाओं – शारीरिक दक्षता परीक्षा व साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा । जाति वर्ग अनुसार 5 गुनी संख्या के अंतिम उम्मीदवार के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा का अवसर दिया जावेगा, भले ही कुल संख्या 5 गुना से अधिक हो जावे।

गैर तकनीकी पदों (सूबेदार, उपनिरीक्षक, उप निरीक्षक (विशेष शाखा)एवं प्लाटून कमाण्डर) तथा तकनीकी पदों (उप निरीक्षक – क्यू.डी. अं.चि., रेडियो) के लिये पृथक पृथक सूची बनायी जायेगी। चूंकि योग्य उम्मीदवार दोनों ही प्रकार के पदों के लिये प्राथमिकता दे सकते हैं, अतः यदि कोई उम्मीदवार मेरिट के आधार पर गैर तकनीकी वर्ग की सूची में होते हुये भी तकनीकी वर्ग की सूची के लिये भी पात्र होता है तो तकनीकी वर्ग की सूची में ऐसे उम्मीदवार के नाम शामिल होंगे, किन्तु तकनीकी वर्ग की सूची हेतु 5गुनी संख्या का आंकलन करते समय इनकी गणना नहीं की जावेगी।

लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की सूची रोल नंबर क्रम में, मंडल द्वारा द्वितीय चरण की परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु पुलिस विभाग की चयन समिति को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसमें उम्मीदवारों के अंक नहीं दर्शाये जावेंगे ।

उम्मीदवारों को उनके लिखित परीक्षा के परिणाम की जानकारी मंडल की वेबसाईट से मिल सकेगी । मंडल की वेबसाईट पर उम्मीदवार की परिणाम पर्ची उपलब्ध होगी जिसे डाउनलोड किया जा सकेगा। परिणाम पर्ची में उम्मीदवारों के अंक नहीं दर्शाये जावेंगे । मंडल की वेबसाईट से डाउनलोड होने वाली परिणाम पर्ची के साथ ही उम्मीदवारों को उनके द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा/साक्षात्कार के लिए केन्द्र एवं तिथि एवं उनसे सम्बधित जानकारियां ज्ञात हो सकेंगी । उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना पत्र नहीं भेजा जावेगा ।

इस चयन परीक्षा हेतु उम्मीदवारो द्वारा व्यावसायिक परीक्षा मंडल को आवेदन पत्र एम.पी. ऑन–लाईन(M.P On-Line) के माध्यम से भरे जाते है । साथ ही लिखित परीक्षा के पूर्व उम्मीदवारों का उंचाई तथा सीने की नाप जोख नहीं कराई जाती है ऐसी स्थिति में उंचाई तथा सीने की नाप हेतु निर्धारित अर्हताएं पूर्ण नहीं करने वाले उम्मीदवारों के सम्मिलित होने की संभावना रहेगी। अतः लिखित परीक्षा में उम्मीदवारो का प्रवेश तथा लिखित परीक्षा का परिणाम प्रावधिक(Provisional) है । लिखित परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है ।

यदि मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा आन लाइन आवेदन भरते समय कोई असत्य जानकारी प्रविष्ट की गई थी अथवा कोई तथ्यात्मक जानकारी छुपाई गई थी तो उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी तथा उसे किसी पद पर चयन की पात्रता नहीं रहेगी ।

1.9.3 द्वितीय चरण – शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट व साक्षात्कार :–

उम्मीदवारों को उनके लिखित परीक्षा के परिणाम की जानकारी मंडल की वेबसाईट से मिल सकेगी । मंडल की वेबसाईट पर उम्मीदवार की परिणाम पर्ची उपलब्ध होगी जिसे डाउनलोड किया जा सकेगा। परिणाम पर्ची में उम्मीदवारों के अंक नहीं दर्शाये जावेंगे । मंडल की वेबसाईट से डाउनलोड होने वाली परिणाम पर्ची के साथ ही उम्मीदवारों को उनके द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा/साक्षात्कार के लिए केन्द्र एवं तिथि एवं उनसे सम्बधित जानकारियां ज्ञात हो सकेंगी । उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना पत्र नहीं भेजा जावेगा ।

द्वितीय चरण के अंतर्गत शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट व साक्षात्कार की कार्यवाही राज्य शासन से गठित चयन समिति द्वारा पुलिस मुख्यालय स्तर पर आयोजित करायी जावेगी।

1-9-4 iek.k i= ,oa nLrkost ¼MkD;qesUV½ eqyr% iLrqr djuk%&

द्वितीय चरण में पुलिस विभाग द्वारा किये जाने वाले प्रमााण पत्रों एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय निम्नलिखित प्रमाण प़त्र एवं दस्तावेज (डाक्यूमेन्ट) मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :–

¼1½ जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इण्टरमीडियेट (10+2) की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हों।

¼2½ शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र (डिग्री या सर्टिफिकेट)।

¼3½ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलयर) के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारुप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये। प्रमाण–पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस विज्ञापन के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं।

¼4½ भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 'सेना' की सेवा का प्रमाण पत्र।

¼5½ पुलिस कर्मियों के प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में होने का प्रमाण पत्र।

¼6½ पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिये नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

¼7½ परित्यक्ता महिला के लिये लागू उच्चतम आयु सीमा की छूट प्राप्त करने हेतु महिला उम्मीदवारों को परित्यक्ता होने के प्रमाण के रुप में राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के स्तर का नहीं होगा, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विवाह के बाद महिला उम्मीदवार को उसके पति ने विधिवत तलाक दिये बिना छोड़ दिया है तथा उक्त पति से महिला उम्मीदवार को कोई गुजारा भत्ता नहीं प्राप्त होता है ।

¼8½ परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारक उम्मीदवार को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये ग्रीन कार्ड ।

¼9½ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतगर्त पुरूस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति / पत्नी उम्मीदवार को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र ।

¼10½''विक्रम पुरस्कार'' प्राप्त उम्मीदवार को उच्चतर आयु सीमा में छूट ''विक्रम पुरस्कार'' हेतु पुरूश्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र ।

¼11½ विवाहित उम्मीदवार को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र ।

UkkV –¼1½ सत्यापन के समय समस्त प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों को मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य है। समस्त प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की एक प्रमाणित प्रतिलिपि चयन समिति के समक्ष जमा करना होगा अतः द्वितीय चरण की परीक्षा में उम्मीदवार प्रमाणित प्रतिलिपियों का एक सैट अपने साथ ले कर उपस्थित होंगे । अध्याय–3 में वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता है तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।

¼2½ यदि मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा आन लाइन आवेदन भरते समय कोई असत्य जानकारी प्रविष्ट की गई थी अथवा कोई तथ्यात्मक जानकारी छुपाई गई थी तो उसकी उम्मीदवारी उसी चरण पर समाप्त कर दी जावेगी तथा उसे अगले चरण में भाग लेने तथा किसी पद पर चयन की पात्रता नहीं रहेगी ।

1.9.5 शारीरिक माप परीक्षण :–

शारीरिक माप मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में किसी भी विवाद की दशा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विनिश्चय मान्य होगा। निर्धारित शारीरिक अर्हता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः निरस्त हो जायेगी।

1.9.6 शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट :

पुलिस विभाग द्वारा लिये जाने वाले शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट में एक ईवेण्ट 800 मीटर दौड़ का रहेगा जो क्वालीफाईंग स्वरुप का होगा । इसके कोई अंक नहीं प्रदान किये जाएंगे । 800 मीटर दौड़ में क्वालीफाई करने हेतु निम्नानुसार समय सीमा निर्धारित हैं :–

स.क्र.	उम्मीदवार	800 मीटर दौड़ क्वालीफाई करने हेतु निर्धारित अधिकतम समय
1	पुरूष	2 मिनिट 40 सैकेण्ड
2	महिला	03 मिनिट 30 सैकेड
3	भूतपूर्व सैनिक	3 मिनिट 15 सैकेड

इस शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा में असफल रहने वाले अभ्यर्थियों को इसी स्तर पर अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जायेगा और उनका साक्षात्कार नहीं लिया जावेगा ।

नोटः–शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी । अभ्यर्थियों को उनकी शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा के लिये चयन समिति द्वारा जो तिथि सूचित की गई है, उस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा । उक्त शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा में तिथि परिवर्तन के लिये अभ्यर्थी का चिकित्सीय प्रमाण पत्र अथवा किसी प्रकार का अन्य कोई प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

1.9.7 साक्षात्कार :–

शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार, राज्य शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा लिया जायेगा, जिसका आयोजन पुलिस विभाग करेगा। साक्षात्कार हेतु अधिकतम 10 अंक होंगे।

1.9.8 बोनस अंक :–

किसी भी विधा में विशेष योग्यता के लिये कोई बोनस अंक प्रदान नहीं किये जावेंगे ।

1-10 ;k=k fdjk;k %&

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा /साक्षात्कार के लिये मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

1.11 चयन सूची :–

नोट :–द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा/साक्षात्कार की कार्यवाही राज्य शासन से गठिन चयन समितिद्वारा पुलिस मुख्यालय स्तर पर आयोजित कराई जावेगी, जिसमें सफल उम्मीदवारों के प्राप्तांकों सहित सूची व्यापम को उपलब्ध कराई जायेगी। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात भर्ती के लिये अन्तिम गुणागुण सूची (मेरिट लिस्ट) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक प्रावीण्यता परीक्षा में सफल होने तथा साक्षात्कार में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर तैयार कर मंडल द्वारा पुलिस विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके आधार पर चयन समिति उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची प्रकाशित करेगी। अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न पदों के लिये दिये गये अधिमान्य (प्रिफरेन्स) तथा मेरिट सूची में ज्येष्ठता (सीनियरटी) के आधार पर पद आवंटित किया जावेगा। कोई अधिमान्यता न दिये जाने या पूरे पदों के लिये अधिमान्यता न देने की स्थिति में चयन समिति कंडिका– 1.3 में दिये गये पदों के क्रम में चयन का प्रस्ताव देने अथवा कोई पद आवंटित न करने की सिफारिश करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यदि किसी उम्मीदवार के पास कोई ऐसी योग्यता हैं जो चयन समिति की राय में किसी पद विशेष के लिये अत्यंत उपयोगी हैं तो चयन समिति पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन पश्चात् ऐसे उम्मीदवार की ऐसे पद पर चयन की सिफारिश करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

1.12 पारस्परिक वरीयता :–

समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी सहवरिष्ठता निर्धारित की जावेगी। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तिम CUT-OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

1.13 प्रतीक्षा सूची :–

किसी भी संवर्ग या पद के लिये कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई जावेगी ।

1.14 नियुक्ति के पूर्व किये जाने वाले परीक्षण :–

1.14.1 चयन सूची में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण मेडिकल बोर्ड से कराया जायेगा। नियुक्ति के लिये पात्रता हेतु उम्मीदवार का ''मेडिकल फिट'' होना भी अनिवार्य है।

1.14.2 चयन सूची में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व शासन आदेशानुसार प्रत्येक उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन कराया जावेगा। मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत शासकीय सेवा हेतु चयनित उम्मीदवारों के चरित्र सत्यापन हेतु मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग द्वारा परिपत्र आदेश क्रमांक एफ 17–74 / 2002 / सी–1 दिनांक 05.06.2003 द्वारा दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये है। सामान्य प्रकरणों में इन दिशा–निर्देशों का पालन किया जाता है। पुलिस सेवा के लिये योग्य चरित्र पाये जाने वाले उम्मीदवारों को ही नियुक्ति पर विचार किया जायेगा।

1.14.3 उम्मीदवारों को चरित्र सम्यापन फार्म के सभी कालमों में पूर्ण एवं सही–सही जानकारी भरना चाहिये, असत्य, अधूरी जानकारी एवं कोई भी जानकारी छिपाना नही चाहिये।

1.14.4 चरित्र सत्यापन फार्म के कॉलम नम्बर–12 जो अपराधिक जानकारी से संबंधित है में सही जानकारी आवश्यक रूप से भरी जावें।

1.14.5 उम्मीदवार अनुप्रमाणन फार्म के कालम नम्बर 12 को खाली छोडता है और उसमें कुछ नहीं लिखता है तो ऐसे अनुप्रमाण फार्म को उम्मीदवार से उक्त कॉलम की पूर्ति हेतु नियोक्ता अधिकारी को वापस किया जावें।

1.14.6 यदि कोई अपराध पंजीबद्व नही हुआ है तो अनुप्रमाणन फार्म के कालम नम्बर 12 में दर्शाये गये प्रत्येक बिन्दुओं में निरंक अथवा नही का लेख किया जाना आवश्यक है।

1.14.7 यदि कोई उम्मीदवार चरित्र सत्यापन फार्म में कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाता है अथवा कोई गलत जानकारी देता है तो वह नियुक्ति के अयोग्य ठहराया जावेगा और उसे नियुक्ति नही दी जावेगी तथा यदि यह तथ्य सेवा में नियुक्ति के बाद उजागर होता है तो उसे बिना कोई अन्य नोटिस दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा। चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में नियुक्ति के अयोग्य घोषित किये जाने पर नियुक्ति की पात्रता नही होगी और ऐसे चयनित व्यक्तियों का नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा।

1.14.8 मध्यप्रदेश शासन के चरित्र सत्यापन संबंधी नए दिशा–निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन के संबंध में इस आशय का शपथ पत्र देना आवश्यक है जिसमें किसी तथ्य को जान बूझकर जानते हुये नहीं छिपाया है।

1.14.9 पुलिस विभाग में सेवा हेतु चयनित ऐसे उम्मीदवार जो पूर्व में अपराधिक प्रकरणों में संलिप्त रहे है, की नियुक्ति हेतु उपयुक्तता का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कमिश्नर ऑफ पुलिस विरूद्व मेंहर सिंह के प्रकरण में दिनांक 02 / 07 / 2013 को पारित निर्णय में प्रतिपादित किये गये न्याय दृष्टांत का अनुसरण किया जाता है जिसके अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा नैतिक अधोपतन के आयाम वाले अपराधिक प्रकरण में उन्मोचित किये जाने पर भी अभ्यर्थी पुलिस सेवा के लिये अयोग्य रहेगे। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग में सेवा हेतु चयनित ऐसे उम्मीदवार जो पूर्व में अपराधिक प्रकरणों में संलिप्त रहें है, की नियुक्ति हेतु उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता का विचारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न लिखित प्रकरणों:–

रिट याचिका क्र. 3875 / 2013 दिलीप कुमार समाधिया
रिट याचिका क्र. 3879 / 2013 अनिल रघुवंशी
रिट याचिका क्र. 5004 / 2013 बृजमोहन सिंह भदौरिया
रिट याचिका क्र. 51082013 दिलीप कुमार समाधिया

में दिनांक 07.10.2013 को पारित निर्णय के पालन में पुलिस मुख्यालय में गठित की गई ''स्क्रीनिंग कमेटी'' द्वारा किया जाता है। अतः ऐसे उम्मीदवार जो पूर्व में अपराधिक प्रकरणों के संलिप्त रहें है, विचारण न्यायालय द्वारा नैतिक अधोपतन के आयाम वाले अपराधिक प्रकरण में उन्मोचित किये जाने पर भी ''स्क्रीनिंग कमेटी'' द्वारा पुलिस सेवा के लिये अयोग्य ठहराये जा सकेंगे। ऐसे उम्मीदवार जो पूर्व में अपराधिक प्रकरणों में संलिप्त रहे है, उनका विचारण न्यायालय से अपराधिक प्रकरण में उन्मोचित किये जाने पर भी पुलिस विभाग में नियुक्ति हेतु कोई दावेदारी नही बनती है।

1.15 नियुक्ति :

(1) उम्मीदवारो को आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधानों, शारीरिक नापजोख, लिखित परीक्षा, शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा, साक्षात्कार, चरित्र सत्यापन तथा चिकित्सकीय परीक्षण, सभी में पूर्णतः योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

(2) नियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा एवं निर्धारित प्रशिक्षण पर भेजा जावेगा।

(3) नियुक्ति के लिये चुने गये उम्मीदवारों को प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने के लिये प्रयोजनार्थ की जाने वाली यात्रा का किराया तथा भत्ता नहीं दिया जायेगा। प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने पर प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा जिसमें उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होना आवश्यक होगा। केवल योग्य पाये उम्मीदवारों को ही नियुक्ति दी जावेगी, अयोग्य उम्मीदवारों को वापस भेज दिया जावेगा।

(4) जिस पद के लिये चयन किया जायेगा केवल उसी पद पर नियुक्ति के लिये विचार किया जासकेगा और उसी संवर्ग में आगे पदोन्नति/पदस्थापना की जावेगी।

(5) निर्धारित प्रशिक्षण से स्थायी या अस्थायी छूट का कोई प्रावधान नहीं है। प्रशिक्षण पर निर्धारित समय में उपस्थित न होने वाले चयनित उम्मीदवारों का नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा/नियुक्ति प्रस्ताव वापस ले लिया जावेगा। इस संबंध में मेडिकल प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(6) इस चयन परीक्षा के आधार परनियुक्त किये गये अधिकारियों की आपसी सहवरिष्ठता चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर निर्धारित की जावेगी।

(7) इस परीक्षा के आधार परनियुक्त किये गये अधिकारियों की नियुक्ति के उपरान्त उनकी स्थापना से सम्बन्धित प्रकरण जैसे पारस्परिक वरीयता, स्थायीकरण, वेतन वृद्धियां आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के प्राावधानों तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर बनाये गये विभिन्न नियमों के अनुसार निर्धारित की जावेंगी ।

(8) चयनित उम्मीदवार को पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं व मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों के अन्तर्गत राज्य के अन्दर व राज्य के बाहर पदस्थ किया जा सकेगा। राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों जैसे राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ई.ओ.डब्ल्यू), लोकायुक्त, फायर ब्रिगेड व ऐसी अन्य संस्थाओं में की जाने वाली पदस्थापना में उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है।

1.16 प्रशिक्षण :–

नियुक्ति उपरान्त निर्धारित अवधि में निर्धारित मानक स्तर से प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण सत्र प्रारम्भ होने की सूचना चयनित उम्मीदवारों को पृथक से भेजी जावेगी। चयनित अभ्यर्थियों को विहित की गई अंतिम तारीख को या उसके पूर्व निर्धारित किये गये प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होना होगा। यदि अभ्यर्थी, नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना निश्चित समयावधि में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, तो उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न शारीरिक तथा बौद्धिक प्रशिक्षण, अस्त्र–शस्त्र संचालन आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें किसी वजह से कोई क्षति होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। प्रशिक्षण में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के लिये एक अवसर प्रदान किया जावेगा। अभ्यर्थी जब तक सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं कर लेता तब तक उसे प्रशिक्षण संस्था में ही रखा जायेगा। उक्त दोनों अवसरों में प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं करने पर उसे एक माह का नोटिस देकर सेवा से मुक्त (बर्खास्त) कर दिया जायेगा।

1-17 lkekU; funs'k %& यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवारो को आयु , शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधानों, शारीरिक नापजोख, लिखित परीक्षा, शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा, साक्षात्कार, चरित्र सत्यापन तथा चिकित्सकीय परीक्षण, सभी में पूर्णतः योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

अति.पुलिस महानिदेशक (चयन/भर्ती)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

अध्याय – 2
मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

egRoi.kZ funsZ'k %&

2-1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें अलग–अलग पदों हेतु विकल्प रहेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता क्रम में आवेदित पद/पदों की प्राथमिकता स्पष्ट रूप से दिया जाना होगा। आवेदक द्वारा दिए गए विकल्प/प्राथमिकता अनुसार ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

स.क्र.	पदनाम	पद का प्रकार
01	सूबेदार	अतकनीकी पद
02	उप निरीक्षक (जिला पुलिस बल)	अतकनीकी पद
03	उप निरीक्षक (विशेष शाखा)	अतकनीकी पद
04	उप निरीक्षक (क्यू. डी.)	तकनीकी पद
05	उप निरीक्षक (रेडियो)	तकनीकी पद
06	उप निरीक्षक (अंगुली चिन्ह)	तकनीकी पद
07	प्लाटून कमांडर	अतकनीकी पद

2-2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा।

2-3 vkuykbu vkosnu&i= Hkjus dh 0;oLFkk %&

(1) ocslkbV www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है।

(2) पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासनके अंतर्गत सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर के सीधी भर्ती के पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क को निर्धारित शुल्क अर्थात अनारक्षित के अभ्यर्थियों द्वारा रू. 700/– तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा रू. 350/– का भुगतान कर भरा जा सकता है। इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेविट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो काई)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है। उपरोक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले समस्त अभ्यर्थियों द्वारा रू. 70/– क्योस्क शुल्क देय होगा।

(3) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन–पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन–पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश–पत्र प्राप्त किया जा सके।

2-4 vkuykbu vkosnu&i= ds lkFk layXu fd;s tkus okys nLrkostksa dk fooj.k %&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्केन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।

(अ) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्केन कराकर संलग्न करने होगें। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें।

(ब) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक को स्वयं की हस्तलिपि में दो लाईने स्केन करवाकर संलग्न करनी होगी। इस प्रकार हस्तलिपि के नमूने को 'रासा' पर प्रिंट किया जायेगा जिसका मिलान संबंधित वीक्षक द्वारा परीक्षा के दौरान आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकेगा।

(स) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी, दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(द) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़डा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा। अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये इसकी अनिवार्यता नही होगी तथा अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह विकल्प आवेदन पत्र में प्रदर्शित नही किया जायेगा।

2-5 ,d ls vf/kd vkWuykbZu vkosnu&i= Hkjus lEcU/kh funsZ'k %&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन–पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा ''हॉ'' विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन–पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन–पत्र ही मान्य होगा। विकल्प ''हॉ'' का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई–मेल आईडी पर एम. पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन–पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी। ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन–पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

2-6 vkWuykbZu vkosnu i= ds lkFk QksVks ,oa gLrk{kj layXu djus lEcU/kh funsZ'kk%&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्केन कराकर संलग्न करने होगें। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें। उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(ii) फोटोग्राफ vkosnu Hkjus dh frfFk से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा QksVksxzkQ ij f[kapokus dh fnukad o vkosnd ds uke dk Li"V mYys[k gksuk pkfg;sA

(iii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(vi) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

2-7 vkWuykbZu vkosnu Hkjus ds lEcU/k esa funsZ'k %

2-7-1 ऑनलाईन आवेदन दिनांक 16.12.2014 से दिनांक 14.01.2015 की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। vkosnd }kjk Hkjs tkus okys vkosnu i= esa jkT; ,oa ftys dk fooj.k esuw ds ek/;e ls izkIr gksxkA ftlls Hkfo"; esa vko';drkuqlkj jkT; ,oa ftys dh vko';d tkudkjh izkIr dh tk ldsA igpku i= ds esuw esa ernkrk igpku i=] iSudkMZ] vk/kkj dkMZ] Mªk;fox ykbZlsal] QksVks;qDr vdslh rFkk ikliksVZ dk izko/kku j[kk x;k gS ;fn vkosnd }kjk vU; igpku i= p;u fd;k tkrk gS rks og nLrkost dkSu lk gS bldh tkudkjh vfrfjDr lg&vkbZMh ds :i esa iznku djuh gksxhA vkosnd dks vkosnu i= esa 'kjhj ds LFkk;h fpUg rFkk ijh{kk ds le; izLrqr fd;s tkus okys QksVks igpku i= dk fooj.k rFkk Øekad vfuok;Z :i ls vafdr fd;k tkuk gksxkA blds vHkko esa vkosnu i=

Lohdkj ugh gkxkA ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

2-7-2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :– (अ) इंटरनेट केफे अथवा (ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

bVjuV d ek/;e l vkuykbu vkonu Qke Hkju dh fof/k %

2-7-2-1 आवेदक www.mponline.gov.in वेबसाईट के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **Vyapam** लिंक के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासनके अंतर्गत सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर के सीधी भर्ती पदों हेतु संयुक्त चयन परीक्षा–2014 परीक्षा से संबंधित में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी funl'k@**Instructions** तथा परीक्षा fu;e@**Examination Rules** उपलब्ध होंगे। निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

2-7-2-2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही–सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन–पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

2-7-2-3 ऑनलाईन आवेदन–पत्र को Submit करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन–पत्र को जमा करें। आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन–पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :–

- क्रेडिट / डेबिट कार्ड।
- इंटरनेट बैंकिंग।

2-7-2-4 ØfMV@MfcV dkM d ek/;e l ijh{kk 'kYd dk Hkxrku%&

आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। क्रेडिट / डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट / डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-7-2-5 bVjuV cfdx d ek/;e l ijh{kk 'kYd dk Hkxrku %&

आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-7-3 ,e-ih- vkuykbu fd;kLd d ek/;e l vkonu Qke Hkju dh fof/k %&

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा। कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन–पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जावेगा। कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही–सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें। भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन–पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास

संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2-7-3-2 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन–पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन–पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

uksV%& ऑनलाईन आवेदन–पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755-4019401, 02, 03, 04, 05 & 06 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2-8 fu/kkZfjr frfFk esa tek fd, x, vkWuykbZu vkosnu i= esa la'kks/ku dh O;oLFkk %&

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगीः–

2-8-1 ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् अगले दिन से 05 दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन–पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

2-8-2 संशोधन हेतु निर्धारित 05 दिन की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क रू.100/–एवं पोर्टल शुल्क रू. 50/– का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। इस प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अपिव के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी। परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

2-8-3 इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन–पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

2-8-4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नही किया जायेगा।

2-9 vkWuykbZu vkosnu&i= dk fujLrhdj.k %&

एम0पी0 ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा। इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा। इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2-10 ijh{kk izos'k&i= (Test Admit Card) :-

नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन–पत्रों के प्रवेश–पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। मण्डल की वेबसाईट पर जारी किया गया टेस्ट एडमिट कार्ड दो–भागों में जारी किया जायेगा जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा। अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

मण्डल के टेस्ट एडमिट कार्ड के द्वितीय भाग पर आवेदक को पूर्व में प्रेषित ऑनलाईन आवेदन पत्र वाला फोटो लगाकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नही होगी तथा इस प्रकार के अभ्यर्थियों को 'रासा'' में अनुपस्थित अंकित किया जायेगा। परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि अंकित करना होगी। प्रवेश–पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

izos'k&i= izkIr djus dh izfØ;k&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश–पत्र मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मुद्रित किए हुए प्रवेश–पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

uksV& प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन–पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2-11 ijh{kk 'kgj %&

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी :–

क्रं.	लिखित परीक्षा केन्द्र	क्रं.	लिखित परीक्षा केन्द्र	क्रं.	लिखित परीक्षा केन्द्र
1.	बालाघाट	8.	देवास	15.	रतलाम
2.	होशंगाबाद	9.	ग्वालियर	16.	रीवा
3.	भोपाल	10.	इन्दौर	17.	सागर
4.	छतरपुर	11.	जबलपुर	18.	सतना
5.	छिंदवाडा	12.	खण्डवा	19.	सिवनी
6.	धार	13.	मंदसौर	20.	शहडोल
7.	गुना	14.	खरगौन	21.	उज्जैन

मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरों एवं परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है।

2-12 ijh{kk 'kqYd %&

उक्त परीक्षा में परीक्षा शुल्क अनारक्षित श्रेणी के लिए रू. 700/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिये रु. 350/– निर्धारित है। ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रू. 70/– अतिरिक्त देय होगा।

2-13 ijh{kk gkWy esa ys tkus gsrq vko';d lkexzh %&

प्रवेश–पत्र, काला बॉलप्वाइंट पेन। लिखित परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र के साथ साथ उनका फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसेः– मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, फोटोयुक्त अंकसूची तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह कौन सा दस्तावेज है इसकी जानकारी अतिरिक्त सह–आई0डी0 के रूप में प्रदान करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

2.14 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात Scientific Calculator,Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging

Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales एवं व्हाईटनर आदि पूर्णतः वर्जित है।

2.15 लिखित परीक्षा का विवरण :–

स.क्रं.	विषय	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	विज्ञान (गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र)	01.03.2015	रविवार	02 घंटे	08:00AM to 10:15 AM	100
2.	हिन्दी एवं अंग्रेजी में दक्षता	01.03.2015	रविवार	02 घंटे	12:00 Noon to 02:15 PM	100 (70+30)
3.	सामान्य ज्ञान	01.03.2015	रविवार	02 घंटे	03:00PM to 05:15 PM	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

2.16 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :– निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :–

¼d½ परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।

¼[k½ अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

¼x½ परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

¼?k½ परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।

¼M-½ अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।

¼p½ अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला–बदली करना।

¼N½ प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।

¼t½ नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

¼>½ सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

¼´½ सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

¼V½ परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोटपहुँचाना। उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपाजायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा । विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

¼B½ परीक्षार्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स में व्हाईटनर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मण्डल कार्यालय को व्हाईटनर लगी ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स प्राप्त हाने से इन्हे स्केनर द्वारा स्वीकार नही किया जाता है जिससे तकनीकी रूप से स्केनरर्स में परेशानी होती है तथा इस प्रकार की कार्यवाही परीक्षा नियमों के भी विपरीत है। अतः व्हाईटनर के प्रयोग वाली ओ0एम0आर0 उत्तर शीटो के ऐसे प्रकरणों को यू0एफ0एम0 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

¼M½ परीक्षार्थियों के विरूद्व परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जानें अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण में संलिप्ता पाये जाने पर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए संबंधित परीक्षार्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

2.17 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर(Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero)अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2-18 =fVi.k i'u] mldk fujLrhdj.k ,o cnys esa fn;k x;k vd %&

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

1- प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।

2- प्रश्न की संरचना गलत हो।

3- उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

4- कोई भी विकल्प सही न हो।

5- यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।

6- कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।

7- अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये। प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 81 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{81 \times 100}{(100 - 2)} = 82.65 = \text{Round Off } 83$$

नोट :– सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

2.19 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :–

प्रश्न–पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप–5 में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है । बिन्दु क्रमांक 2.17 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न–पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ–साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम ''की'' (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी । आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

2-20 ijh{kk ifj.kke dk idk'ku %&

परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ–साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे। अध्याय–1 से 3 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। पुलिस विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

2-21 vad lwph %&

इस चयन परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद तथा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड की जा सकेगी। तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं। डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2-22 e-iz- O;kolkf;d ijh{kk eaMy dk dk;Z iwoZ'k ijh{kk dk lapkyu ,oa mldk ifj.kke ?kksf"kr djuk ek= gksxk %&

परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा। अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

2-23 U;kf;d {ks=kf/kdkj %&

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction)मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

———0———

अध्याय – 3
लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

3.1 प्रश्न–पत्र – 1 (अधिकतम अंक–100) :–
केवल तकनीकी पदों हेतु
उप निरीक्षक तकनीकि संवर्ग भर्ती वर्ष 2013 की लिखित परीक्षा हेतु रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं गणित का पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्नातक स्तर हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार रहेगा।

अंको का विभाजन निम्नानुसार रहेगा :–

1– रसायन शास्त्र – 33
2– भौतिक शास्त्र – 33
3– गणित – 34
योगः– 100

3.2 प्रश्न–पत्र – 2 (अधिकतम अंक–100) :–
तकनीकी एवं अतकनीकी पदों हेतु

Marks: 30

English (10+2 Level)
Functional Grammar

1- Tenses
2- Modals
3- Determiners
4- Articles
5- Voices
6- Narration
7- Prepositions
8- Clauses

An unseen passage with a variety of questions including marks for vocabulary such as word formation and inferring meaning.

The passages could be any of the following two types:-

(a) Factual passages- e.g. instructions, descriptions, reports.
(b) Discursive passages- involving opinion e.g. argumentative, persuasive.

पाठ्यक्रम हिन्दी (10+2 स्तर)
70 अंक

भाषा बोध–

शब्द निर्माण– (उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास) पर आधारित प्रश्न
समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द पर आधारित प्रश्न
अनेकार्थी शब्द पर आधारित प्रश्न
विलोम शब्द पर आधारित प्रश्न
पयार्यवाची शब्द पर आधारित प्रश्न
वाक्यांश के लिए एक शब्द पर आधारित प्रश्न
भाव पल्लवन/भाव विस्तार पर आधारित प्रश्न
वाक्य – अशुद्धि संशोधन पर आधारित प्रश्न
वाक्य परिवर्तन पर आधारित प्रश्न
मुहावरे/लोकोक्तियॉ पर आधारित प्रश्न
समास विग्रह तथा समास के भेद पर प्रश्न
संक्षिप्तिकरण पर प्रश्न
भिन्नार्थक समोच्चरित शब्द पर प्रश्न
पारिभाषिक, तकनीकी शब्दों के प्रयोग पर प्रश्न
वाक्य भेद (रचना, अर्थ के आधार पर) वाक्य रूपान्तर पर प्रश्न
शब्द युग्म पर प्रश्न
बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा पर प्रश्न
मुहावरे/ लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग पर प्रश्न

काव्य बोध–

काव्य की परिभाषा – भेद, मुक्तक काव्य, प्रबन्ध काव्य
(महाकाव्य, खण्डकाव्य) पर प्रश्न
रस – परिभाषा, अंग, भेद और उदाहरण पर प्रश्न
अलंकार– वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति पर प्रश्न
छन्द– गीतिका, हरिगीतिका, उल्लाला, रोला पर प्रश्न
रस परिचय, अंग, रस भेद– उदाहरण सहित अलंकार
छंद, काव्य की परिभाषा एवं काव्य के भेद काव्य गुण
क्षेत्रीय बोली–पहेलियाँ,चुटकुले,लोकगीत, लोक कथाओं का परिचय तथा खड़ी बोली में उनका अनुवाद ।

म.प्र. से प्रकाशित होने वाली हिन्दी भाषा की पत्र पत्रिकाओं की जानकारी ।

अपठित बोध –

एक गद्यांश – शीर्षक सारांश एवं प्रश्न

एक पद्यांश – शीर्षक, सारांश एवं प्रश्न

3.3 प्रश्न–पत्र – 3 (अधिकतम अंक–100) :–

तकनीकी एवं अतकनीकी पदों हेतु

सामान्य ज्ञान में वस्तुनिष्ठ प्रकार के मध्यप्रदेश राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य जानकारियों के अतिरिक्त गणित, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान विषय आधारित प्रश्नों के साथ जनरल एप्टीट्यूड, सामान्य बुद्धि गुणवत्ता के रीजनिंग संबंधी प्रश्न शामिल होंगे।

–––0–––

प्रारूप–1

अध्याय–4
प्रमाण–पत्रों के प्रारूप

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये स्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हों तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किस एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें :–

1. जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा जिलाध्यक्ष द्वारा अधिकृत अन्य कोई अधिकारी।

स्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये –

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला..मध्य प्रदेश
पुस्तक क्रमांक.......................................
प्रमाण पत्र क्रमांक....................................प्रकरण क्रमांक.................................

स्थायी जाति प्रमाण पत्र–नियम 8 (1)

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पिता/पति का नाम ....निवासी/ग्राम/नगर .... विकास खण्ड .... तहसील............................जिला.................................संभाग.. जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया हैं और यह .... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक....... पर अंकित हैं, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम ....अनुसूचित जाति/ जनजाति का/की हैं ।

2. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी...के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये.................................हैं।

दिनांक ....

हस्ताक्षर
(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम

प्रारूप–2

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये
अस्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति / अनु.जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हो तथा उनके पास जाति संबंधी स्थाई प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किसी एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें:–

1. संबंधित (राजस्व) अधिकारी / तहसीलदार / अतिरिक्त तहसीलदार / नायव तहसीलदार।

अस्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये –

(अस्थायी प्रमाण पत्र) नियम 8 (2)
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला...मध्य प्रदेश
पुस्तक क्रमांक......................................
प्रमाण पत्र क्रमांक....................................प्रकरण क्रमांक.................................

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री / श्रीमती / कुमारी... पिता / पति का नाम .. ..निवासी / ग्राम / नगर ....वि.ख. ....तहसील.... ....जिला.. संभाग...जाति / जनजाति का / की सदस्य हैं और इस जाति / जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति / अनुसूचिचत जनजाति के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया हैं और यह .... जाति / जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक. ....पर अंकित हैं, अतः श्री / श्रीमती / कुमारी ....पिता / पति का नाम .... अनुसूचित जाति / जनजाति का / की हैं ।

2. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी...के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये.....................................हैं।

दिनांक .... हस्ताक्षर
(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा।

प्रारूप–3

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप (स्थायी जाति प्रमाण पत्र) नियम 8(1) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला...मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक...................................
प्रमाण पत्र क्रमांक..प्रकरण क्रमांक..

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी...पिता/पति का.... .... नाम ....निवास/ग्राम/नगर .... वि.ख.................तहसील.................जिला.................. .... संभाग...मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो.. जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया हैं। श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम ....और/उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला ....संभाग....................................में निवास करता हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी..क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग केपरिपत्र क्रमांक 360/2/22/93/स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक–एफ–7–26/93/1/आप्र./दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कालम (3) मे किया गया हैं

3. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी ....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये...हैं।

दिनांक ....
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची।
प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया हैं जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता हैं।
जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/जिलाध्यक्ष अथवा शासन द्वारा अन्य प्राधिकृत अधिकारी।

प्रारूप–4

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र) नियम 8(2) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला..मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक..............................प्रमाण पत्र क्रमांक...प्रकरण क्रमांक...

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी..पिता/पति का नाम ....निवास/ग्राम/नगर ....वि.ख.. तहसील................ ....जिला................................... संभाग...............................मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो......................... जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया हैं। श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम ....और/उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला ....संभाग में निवास करता हैं। यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी...क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/ वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93/स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक–एफ–7–26/93/1/आप्र. /दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कालम (3) मे किया गया हैं

3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी ....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये...हैं।

दिनांक .... हस्ताक्षर
(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची। प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया हैं जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता हैं। संबंधित राजस्व अधिकारी/ तहसीलदार/ अतिरिक्त तहसीलदार/ नायव तहसीलदार

यह प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेंगा।

नोट : वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता हैं तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।

ik: i&5

(देखें नियम 2.18 एवं 2.19)

i'u&ifLrdk d i'uk d lc/k e vH;konu

¼ukV& ;g ii= doy ijh{kkFkh }kjk gh Hkjdj fu/kkfjr le;kof/k rd
e.My dk;ky; e miyC/k djku ij fopkj {k= e fy;k tk,xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न–पत्र में निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :–

l0Ø0	i'u Øekd	=fV dk fooj.k	lk{; d :i e iLrr nLrkot dk fooj.k	lyXud Øekd

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर...................................
आवेदक का नाम.......................................

स्थान ....
दिनांक ....

ik : i&6

(देखें नियम 2.18 एवं 2.19)

vkn’k mRrjk ij vkifRr gr vH;konu

¼ukV& ;g i= doy ijh{kkFkh }kjk gh Hkjdj fu/kkfjr le;kof/k rd e.My dk;ky; e miyC/k djku ij fopkj {k= e fy;k tk,xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक .... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :–

l-Ø-	mRrj Øekd	vkn'k dh e inf'kr mRrj	vH;Fkh d vuqlkj mRrj	mRrj d leFku e iLrr nLrko t dk fooj.k	lyXud Øekd

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर..................................

दिनांक ....

lgefr iek.k&i=

e/;in'k O;kolkf;d ijh{kk e.My }kjk ifyl e[;ky;] xg ¼ifyl½ foHkkx] e/;in'k 'kklu d vrxr lcnkj] mi fujh{kd lox] lykVu dekMj dh Hkrh gr p;u ijh{kk&2014 d fy, r;kj dh xbZ fu;eiqfLrdk e mYyf[kr ifyl foHkkx l lcf/kr leLr fu;e o tkudkjh dh iqf"V o lgefr inku dh tkrh gA r;kj fu;eiqfLrdk d vuqlkj ijh{kk vk;ktu e foHkkx dk dkbZ vkifRr ugh g rFkk ijh{kk vk;ktu d lca/k e foHkkx viuk i.k lg;kx inku djxkA

rnuqlkj ;g lgefr iek.k&i= lR;kfir@gLrk{kfjr dj inku fd;k tkrk gA

भोपाल, दिनांक :

सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम :–...
पदनाम :–...
सील :–...